

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक/एफ-7/1/92/10/3

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 1999

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- प्रदेश के वनों से निस्तार सुविधाएं/निस्तार दरों में की गई वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञात दि. 17-5-93

--0--

प्रदेश के वनों से ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तार सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग के ज्ञाप क्रमांक क्रमांक/एफ-7/1/92/10/3 दिनांक 12-4-77 द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत दरों का निर्धारण किया गया था उन दरी एवं सुविधाओं में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-7/23/79/10-3 दिनांक 18-9-85 एवं ज्ञाप क्रमांक/एफ-7/1/92/10/3 दिनांक 28-11-92 द्वारा परिवर्तन किया गया था।

2/ अब राज्य शासन द्वारा उक्त निस्तार सुविधा एवं दरों में विभाग द्वारा जारी किये गये परिवर्तन के अनुक्रम में पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :-

1-- जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों को जलाऊ चट्टे सीधे कूपों से बेचे जाने हैं वहाँ रायल्टी रूपये 25/- (रूपये पच्चीस) प्रति चट्टा प्राप्त की जाए एवं इसमें वास्तविक विदोहन व्यय जोड़कर विक्रय दर निर्धारित की जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र.एफ-7/1/92/10/3

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 1999

प्रतिलिपि :-

1/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक म0प्र0

2/ समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0

3/ समस्त जिलाध्यक्ष, म0प्र0

4/ समस्त वन संरक्षक, म0प्र0

5/ समस्त क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी म0प्र0

6/ समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग